पत्रांक–2ब०/राज्य वित्त आयोग–25–02/2015 21 /न०वि०एवंआ०वि०

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

***द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार**

पटना, दिनांक– 10/07/18

विषयः– **पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रथम किस्त के रूप में कुल ₹50853.97500 लाख (पाँच सौ आठ करोड़ तीरपन लाख संतानवे हजार पाँच सौ रु०) मात्र राज्य में कार्यरत 141 नगर निकायों के बीच सहायक अनुदान रूप में राशि की स्वीकृति।**

आदेशः– **स्वीकृत।**

पंचम् राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद– 243–I–सह पठित– 243–Y के अनुपालन तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा– 168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा– 71 के प्रावधानों के अंतर्गत वित्त विभागीय अधिसूना सं०– 12530, दिनांक– 13.12.2013 द्वारा किया गया। पंचम् राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री ए०एन०पी० सिन्हा द्वारा दिनांक– 02.02.2016 को समर्पित किये गये प्रतिवेदन के आलोक में वित्त विभाग द्वारा संकल्प सं०– 1510, दिनांक– 24.02.2016 निर्गत किया गया।

2. **वित्त विभागीय संकल्प सं०– 1510, दिनांक– 24.02.2016 द्वारा निम्नांकित प्रावधान किये गये हैं:–**

(i) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के कुल व्यय (वास्तविकी) का 2.75% स्थानीय निकायों को Devolution + Grant के रूप में अंतरित किया जायेगा।

(ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में Devolution के रूप में पिछले वित्तीय वर्ष के राज्य के अपने शुद्ध कर राजस्व (SOTR) का 8.5% राशि स्थानीय निकायों को अंतरित की जायेगी।

(iii) पंचायती राज संस्थाओं एवं स्थानीय शहरी निकायों को कुल हस्तांतरित होने वाली राशि का अंतर्विभाजन 70:30 के अनुपात में वित्तीय वर्ष 2015–16 से 2019–20 तक किया जायेगा।

(iv) स्थानीय निकायों को कुल अंतरित की जाने वाली राशि के द्वितीय किश्त की विमुक्ति के पूर्व पिछले वित्तीय वर्ष में व्यय की गयी राशि का लेखा एवं आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ–साथ उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

3. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के शुद्ध कर राजस्व (SOTR) का 8.5% राशि में से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली कुल राशि ₹58164.00 लाख (पाँच सौ एकासी करोड़ चौसठ लाख रु०) मात्र तथा अनुदान के रूप में राज्य के कुल व्यय के 2.75% में से शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली कुल राशि ₹53290.00 लाख (पाँच सौ बत्तीस करोड़ नब्बे लाख रु०) मात्र अर्थात् कुल राशि ₹111454.00 लाख (एक हजार एक सौ चौदह करोड़ चौवन लाख रु०) मात्र पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में प्राप्त हुआ है। उक्त राशि में से तत्काल ₹102872.00 लाख वित्तीय वर्ष 2017–18 के द्वितीय किस्त तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 के प्रथम किस्त के रूप में राज्य के कार्यरत सभी नगर निकायों के बीच वितरित करने की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् से प्राप्त की गई है। चूकि चालू वित्तीय वर्ष में पंचम राज्य वित्त आयोग मद में कुल ₹111454.00 करोड़ (एक हजार एक सौ चौदह करोड़ चौबन लाख रु०) मात्र प्राप्त हुआ है परन्तु चालू वित्तीय वर्ष में पंचम राज्य वित्त आयोग मद में उपबंधित राशि ₹104199.00 लाख (एक हजार एकतालीस करोड़ नीनानवे लाख रू०) मात्र है, इसलिए उक्त उपबंधित राशि को समानुपातिक रूप से Devolution एवं Grant के रूप में वितरित किया गया है, जिसके अनुसार Devolution के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली कुल राशि ₹54378.00 लाख(पॉच सौ तैंतालीस करोड़ अठत्तर लाख रू०) है तथा Grant के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली कुल राशि ₹49821.00 लाख (चार सौ अंठानवे करोड़ इक्कीस लाख रू०) है। अर्थात कुल राशि ₹104199.00 लाख (एक हजार एकतालीस करोड़ नीनानवे लाख रू०) मात्र है।

4. **स्थानीय शहरी निकायों को Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग :–**

(क) अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग नगर निकायों द्वारा आयोग की अनुशंसा के अध्याय– 9 के अनुरूप किया जायेगा।

(ख) पंचम् राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा संख्या– 9.6.5 के अनुसार शहरी स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग क्षमता वर्द्धन, ई० म्यूनिसिपलिटि एवं डाटा बेस प्रबंधन, प्रशिक्षण, Model City & Town Master Plan एवं DPR तैयार करने जैसे कार्यों पर किया जायेगा। अनुदान के वैसे घटक जिनके लिए केन्द्रीयकृत प्रबंधन करना आवश्यक होगा, उनके लिए विभाग द्वारा राशि के व्यय हेतु आवश्यकतानुसार दिशा–निर्देश दिये जायेंगे, जिसमें आवश्यकतानुसार केन्द्रीयकृत प्रबंधन भी किया जा सकेगा।

(ग) PPP कार्यक्रम के अंतर्गत Viability Gap Funding एवं शहरी निकायों में SPUR जैसे विशेषज्ञ सेवाएँ (Professional Sevices) उपलब्ध कराने के लिए इसी मद से राशि दी जायेगी।

(घ) Overall Performance के अंतर्गत दी जाने वाली राशि "मुख्यमंत्री नगर निकाय प्रोत्साहन योजना" के नाम से दिया जाएगा।

सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 01 नगर निगम को पाँच करोड़ रु०, 02 नगर परिषदों को तीन–तीन करोड़ तथा दो नगर पंचायतों को एक–एक करोड़ रुपये की राशि पुरस्कार स्वरूप उपलब्ध करायी जायेगी। यह राशि विभागीय संकल्प सं०– 1039, दिनांक– 17.02.2016 के प्रावधानों के तहत् उपलब्ध करायी जायेगी तथा संबंधित नगर निकाय द्वारा संकल्प के प्रावधानों के तहत् व्यय की जायेगी।

5. **Devolution+Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि का उपयोग :-**

(क) Devolution+Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से नगर निकायों द्वारा 30 प्रतिशत राशि का व्यय "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" पर किया जायेगा। इसके लिए नगर निकायों द्वारा अलग खाता खोलकर उतनी राशि उस खाते में रखी जायेगी।

(ख) Devolution+Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से नगर निकायों द्वारा 20 प्रतिशत राशि का व्यय "मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना" पर किया जायेगा। इसके लिए नगर निकायों द्वारा अलग खाता खोलकर उतनी राशि उस खाते में रखी जायेगी।

(ग) Grant के रूप में प्राप्त होने वाली राशि में से 05 प्रतिशत राशि का व्यय नगर निकायों के आंतरिक अंकेक्षण, दोहरी लेखा प्रणाली, मुख्यालय स्तर पर SPUR Type Professional एवं कंडिका-4(ख) में वर्णित सेवाओं पर किया जायेगा। विदित हो कि पूर्व में आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी लेखा प्रणाली का कार्य सभी नगर निकायों में स्पर के माध्यम से कराया जा रहा था। स्पर का कार्यकाल दिनांक-31.03.2017 को समाप्त हो चुका है। नगर निकायों में कर्मचारियों की कमी एवं उनके आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए विभिन्न नगर निकायों में आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी लेखा प्रणाली का कार्य कराने हेतु विभाग द्वारा एजेंसियों का चयन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आयोग की अनुशंसा के अध्याय- 9 के टेबल- 9.12 में SPUR Type Professional Services रखने की भी अनुशंसा की गई है। अतः चयनित एजेंसियों के माध्यम से कराये गये आंतरिक अंकेक्षण, दोहरी लेखा प्रणाली, SPUR Type Professional एवं कंडिका- 4(ख) में वर्णित सेवाओं पर व्यय के भुगतान हेतु नगर निकायों को वितरित किये जाने वाले Grant की कुल राशि में से 05 प्रतिशत राशि का अलग राज्यादेश एवं आवंटनादेश तैयार किया जायेगा। उक्त राशि की निकासी विभागीय निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा तथा BUDA के PL खाता में राशि संधारित की जायेगी। तदोपरांत संबंधित एजेंसियों को निविदा की शर्तों के अनुरूप उनके द्वारा किये गये कार्यों के विरूद्ध विपत्रों के भुगतान पर विभाग द्वारा व्यय किया जायेगा।

(घ) वित्तीय वर्ष 2018-19 में Grant के रूप में प्राप्त होने वाली कुल राशि ₹49821.00 लाख (चार सौ अंठानवे करोड़ इक्कीस लाख रु०) है। जिसमें प्रथम किस्त की राशि ₹24910.50 (दो सौ उनचास करोड़ दस लाख पचास हजार रु०) होता है। इस राशि का 05 प्रतिशत राशि अर्थात् ₹1245.52500 लाख (बारह करोड़ पैंतालीस लाख बावन हजार पाँच सौ रु०) का व्यय विभागीय स्तर से नगर निकायों के आंतरिक अंकेक्षण एवं दोहरी लेखा प्रणाली का कार्य कराने हेतु विभाग द्वारा चयनित एजेंसियों को नियमानुसार किया जायेगा। इस प्रकार Devolution+Grant के रूप में प्रथम किस्त की कुल राशि ₹52099.50 लाख (पाँच सौ बीस करोड़ नीनानवे लाख पचास हजार रु०) में से Grant की राशि से 05 प्रतिशत राशि घटाने के बाद कुल भुगतेय राशि ₹50853.97500 लाख (पाँच सौ आठ करोड़ तीरपन लाख संतानवे हजार पॉच सौ रु०) की स्वीकृति संलग्न तालिका के अनुसार प्रदान की जा रही है।

इसके लिए CFMS के माध्यम से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

6. Devolution + Grant की राशि में से उपुर्यक्त कंडिका– 5 (क), (ख), एवं (ग) में कर्णांकित राशि के पश्चात् अवशेष राशि का उपयोग विभागीय संकल्प संख्या– 6261, दिनांक– 14.09.2016 के आलोक में नगर निकायों की आवश्यकतानुसार पूर्व से प्रावधानित उनके कर्मियों के वेतन एवं सेवानिवृत्त कर्मियों के सेवांत लाभों के बकाये के भुगतान, ठोस कचरा प्रबंधन एवं विद्युत विपत्रों के भुगतान के अतिरिक्त मासिक वेतन भुगतान तथा सेवानिवृत्ति लाभों के भुगतान पर भी किया जा सकेगा।

7. पंचम् राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन के अध्याय– 8 के टेबल 8.9 में नगर निकायों के बीच राशि वितरण के लिए 70 प्रतिशत जनसंख्या, 10 प्रतिशत क्षेत्रफल तथा 20 प्रतिशत बी०पी०एल० परिवारों की संख्या को आधार बनाया गया है। यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि बी०पी०एल० परिवारों के अद्यतन आँकड़े उपलब्ध नहीं हो तो बी०पी०एल० परिवारों के लिए निर्धारित भार जनसंख्या में जोड़ दिया जाय एवं उक्त राशि का उपयोग मलिन बस्तियों एवं कमजोर वर्ग से आच्छादित क्षेत्रों के विकास पर किया जाय। साथ ही उक्त अध्याय– 8 के टेबल– 8.9 के अनुसार राशि वितरण में नगर निगमों के लिए 1.5 गुणा, नगर परिषदों के लिए 1.3 गुणा एवं नगर पंचायतों के लिए 1 गुणा भार निर्धारित किया गया है।

8. Devolution एवं Grant के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली राशि के वितरण हेतु नगर निकायों के 2011 की जनसंख्या को 90 प्रतिशत भार (Weightage) तथा उनके क्षेत्रफल को 10 प्रतिशत भार (Weightage) दिया गया है। बी०पी०एल० परिवारों के लिए निर्धारित भार के समतुल्य राशि का उपयोग शहरी स्थानीय निकायों द्वारा मलिन बस्तियों एवं कमजोर वर्ग से आच्छादित क्षेत्रों के विकास पर किया जायेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के शुद्ध कर राजस्व तथा राज्य के कुल व्यय में से प्राप्त शहरी स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाली राशि का आकलन वित्तीय वर्ष 2017–18 के वास्तविकी के अनुमान के आधार पर किया गया है, जो कंडिका– 3 में वर्णित है। महालेखाकार से वित्तीय वर्ष 2017–18 के वास्तविकी के आकड़े प्राप्त होने पर वास्तविक अंतरण के राशि की गणना की जायेगी। इस गणित राशि में से प्रथम किस्त के रूप में शहरी स्थानीय निकायों को वितरित राशि को घटाकर शेष राशि का ही भुगतान द्वितीय किस्त के रूप में किया जायेगा।

10. (i) उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹50853.97500 लाख (पाँच सौ आठ करोड़ तीरपन लाख संतानवे हजार पॉच सौ रु०) मात्र में से संलग्न विवरणी के स्तम्भ– 06 के कुल योग (क) में अंकित राशि ₹24036.55934 लाख (दो सौ चालीस करोड़ छत्तीस लाख पचपन हजार नौ सौ चौंतीस रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में मांग संख्या–48 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत आय–व्ययक के मुख्य शीर्ष– 2217–शहरी विकास–80–सामान्य–191–नगर निगम को सहायता–0013–राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर निगम को सहायक अनुदान–विपत्र कोड– **48-2217801910013** विषय शीर्ष–0013.31.04 एवं विषय शीर्ष–0013.31.05 से की जाएगी। **इस विपत्र कोड एवं विषय शीर्षो से राशि की निकासी राज्य के सभी नगर निगमों द्वारा की जाएगी। संलग्न विवरणी के स्तम्भ– 07 में अंकित राशि की निकासी विषय शीर्ष– 0013.31.04 से तथा स्तम्भ– 08 में अंकित राशि की निकासी विषय शीर्ष– 0013.31.05 से की जायेगी, जिसका कुल योग संबंधित नगर निगमों के सम्मुख स्तम्भ– 09 में अंकित है।**

(ii) उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹50853.97500 लाख (पाँच सौ आठ करोड़ तीरपन लाख संतानवे हजार पॉच सौ रु०) मात्र में से संलग्न विवरणी के स्तम्भ– 06 के कुल योग (ख) में अंकित राशि ₹16223.74762 लाख (एक सौ बासठ करोड़ तेइस लाख चौहत्तर हजार सात सौ बासठ रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में मांग संख्या–48 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत आय–व्ययक के मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–192–नगर पालिकाओं/नगर परिषदों को सहायता–0005–राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर परिषद् को सहायक अनुदान–विपत्र कोड **–48-2217801920005** विषय शीर्ष–0005.31.04 एवं विषय शीर्ष–0005.31.05 से की जाएगी। **इस विपत्र कोड एवं विषय शीर्षो से राशि की निकासी राज्य के सभी नगर परिषदों द्वारा की जाएगी। संलग्न विवरणी के स्तम्भ– 07 में अंकित राशि की निकासी विषय शीर्ष– 0005.31.04 से तथा स्तम्भ– 08 में अंकित राशि की निकासी विषय शीर्ष– 0005.31.05 से की जायेगी, जिसका कुल योग संबंधित नगर परिषदों के सम्मुख स्तम्भ– 09 में अंकित है।**

(iii) उक्त स्वीकृत कुल राशि ₹50853.97500 लाख (पाँच सौ आठ करोड़ तीरपन लाख संतानवे हजार पॉच सौ रु०) मात्र में से संलग्न विवरणी के स्तम्भ– 06 के कुल योग (ग) में अंकित राशि ₹10593.66804 लाख (एक सौ पाँच करोड़ तीरानवे लाख छियासठ हजार आठ सौ चार रु०) मात्र की निकासी चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में मांग संख्या–48 स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत आय–व्ययक के मुख्य शीर्ष–2217–शहरी विकास–80–सामान्य–193–नगर पंचायतों/अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता–0005–राज्य वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में नगर पंचायत को सहायक अनुदान–विपत्र कोड–**48-2217801930005** विषय शीर्ष– 0005.31.04 एवं विषय शीर्ष– 0005.31.05 से की जाएगी। **इस विपत्र कोड एवं विषय शीर्षो से राशि की निकासी राज्य के सभी नगर पंचायतों द्वारा की जाएगी। संलग्न विवरणी के स्तम्भ– 07 में अंकित राशि की निकासी विषय शीर्ष– 0005.31.04 से तथा स्तम्भ– 08 में अंकित राशि की निकासी विषय शीर्ष– 0005.31.05 से की जायेगी, जिसका कुल योग संबंधित नगर पंचायतों के सम्मुख स्तम्भ– 09 में अंकित है।**

11. सभी नगर आयुक्त एवं सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि उनके नगर निकाय के सम्मुख अंकित विपत्र कोड एवं विषय शीर्ष से ही राशि की निकासी करें। इससे संबंधित किसी भी प्रकार के विचलन की जिम्मेवारी संबंधित नगर निकाय के नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी की होगी।

12. चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत राशि की संबंधित कोषागार से निकासी करना संबंधित नगर निकायों का दायित्व है।

13. *विभागीय संकल्प संख्या– 1288 दिनांक– 25.03.2016 के आलोक में कुल आवंटित राशि के 20 प्रतिशत का व्यय मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु किया जायेगा तथा विभागीय संकल्प संख्या– 1287 दिनांक– 25.03.2016 के आलोक में कुल आवंटित राशि के 30 प्रतिशत का व्यय मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु किया जायेगा।*

14. वित्त विभाग के परिपत्र सं०– 7355 वि(2), दिनांक– 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

15. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496, दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि की निकासी से संबंधित टी०भी० नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना को देते हुए सरकार को अवगत कराया जायेगा।

16. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

17. वित्त विभाग की सहमति संचिका सं०–2ब०/राज्य वित्त आयोग–25–02/2015 के पृष्ठ–196/टि० पर दिनांक– 30.05.2018 को प्राप्त है।

18. मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक– 20.06.2018 की बैठक के मद संख्या– 06 के रूप में प्राप्त है।

19. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/राज्य वित्त आयोग–25–02/2015 के पृष्ठ सं०–205/टि० पर दिनांक–02/07/2018 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–205/टि० पर दिनांक–05/07/2018 को प्राप्त है।

20. इसकी सूचना सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत/सभी कोषागार पदाधिकारी, सभी कोषागार तथा अन्य को भी दी जा रही है।

अनु०–यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

09.07.18

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–2ब०/राज्य वित्त आयोग–25–02/2015 21 /न०वि०एवंआ०वि० पटना, दिनांक– 10/07/18

प्रतिलिपिः– सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, सभी नगर निगम/नगर कार्यपालक पदाधिकारी, सभी नगर परिषद् एवं सभी नगर पंचायत/सभी कोषागार पदाधिकारी एवं उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रबंधक एम०आई०एस० को सभी नगर निकायों को सूचित एवं अनुश्रवण करने हेतु/विभागीय आई टी मैनेजर को विभागीय वेवसाइट पर अपलोड करने एवं सभी नगर निकायों को ई०–मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी–02 एवं 07, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (05 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

9.07.18

सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एंव आवास विभाग

पंचम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य के 141 कार्यरत नगर निकायों के बीच प्रथम किस्त के रूप में आवंटित राशि ₹5,08,53,97,500.00 मात्र के वितरण की विवरणी :–

नगर निगम

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	जिला	नगर निगम का नाम	90 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर वितरित राशि	10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर वितरित राशि	कुल आवंटित राशि (4+5)	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है		कुल निकासी की जाने वाली राशि (7+8)
						0013.31.04	0013.31.05	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पटना	पटना नगर निगम	78,10,36,994.00	2,81,67,134.00	80,92,04,128.00	40,46,02,064.00	40,46,02,064.00	80,92,04,128.00
2	नालंदा	बिहारशरीफ नगर निगम	13,78,48,170.00	61,09,725.00	14,39,57,895.00	7,19,78,948.00	7,19,78,947.00	14,39,57,895.00
3	भोजपुर	आरा नगर निगम	12,12,29,487.00	80,51,838.00	12,92,81,325.00	6,46,40,663.00	6,46,40,662.00	12,92,81,325.00
4	गया	गया नगर निगम	21,98,45,051.00	1,30,43,613.00	23,28,88,664.00	11,64,44,332.00	11,64,44,332.00	23,28,88,664.00
5	भागलपुर	भागलपुर नगर निगम	18,55,54,429.00	78,43,847.00	19,33,98,276.00	9,66,99,138.00	9,66,99,138.00	19,33,98,276.00
6	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर नगर निगम	16,43,69,990.00	68,71,491.00	17,12,41,481.00	8,56,20,741.00	8,56,20,740.00	17,12,41,481.00
7	दरभंगा	दरभंगा नगर निगम	13,72,78,417.00	49,86,575.00	14,22,64,992.00	7,11,32,496.00	7,11,32,496.00	14,22,64,992.00
8	कटिहार	कटिहार नगर निगम	11,16,80,631.00	63,80,113.00	11,80,60,744.00	5,90,30,372.00	5,90,30,372.00	11,80,60,744.00
9	बेगुसराय	बेगुसराय नगर निगम	11,68,60,347.00	23,34,695.00	11,91,95,042.00	5,95,97,521.00	5,95,97,521.00	11,91,95,042.00
10	मुंगेर	मुंगेर नगर निगम, मुंगेर	9,89,12,343.00	45,49,795.00	10,34,62,138.00	5,17,31,069.00	5,17,31,069.00	10,34,62,138.00
11	पूर्णियाँ	पूर्णियाँ नगर निगम	13,08,83,144.00	1,15,74,679.00	14,24,57,823.00	7,12,28,912.00	7,12,28,911.00	14,24,57,823.00
12	सारण	छपरा, नगर निगम	9,38,34,025.00	44,09,401.00	9,82,43,426.00	4,91,21,713.00	4,91,21,713.00	9,82,43,426.00
		कुल (क)	**2,29,93,33,028.00**	**10,43,22,906.00**	**2,40,36,55,934.00**	**1,20,18,27,969.00**	**1,20,18,27,965.00**	**2,40,36,55,934.00**

नगर परिषद्

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	जिला	नगर परिषद् का नाम	90 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर वितरित राशि	10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर वितरित राशि	कुल आवंटित राशि (4+5)	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है		कुल निकासी की जाने वाली राशि (7+8)
						0005.31.04	0005.31.05	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	पटना	नगर परिषद, बाढ़	2,47,04,050.00	11,69,947.00	2,58,73,997.00	1,29,36,999.00	1,29,36,998.00	2,58,73,997.00
14		नगर परिषद, खगौल	1,78,29,603.00	13,83,137.00	1,92,12,740.00	96,06,370.00	96,06,370.00	1,92,12,740.00
15		नगर परिषद, दानापुर	7,33,16,102.00	30,23,664.00	7,63,39,766.00	3,81,69,883.00	3,81,69,883.00	7,63,39,766.00
16		नगर परिषद, मोकामा	2,43,85,940.00	36,86,634.00	2,80,72,574.00	1,40,36,287.00	1,40,36,287.00	2,80,72,574.00
17		नगर परिषद, मसौढ़ी	2,40,34,134.00	24,51,689.00	2,64,85,823.00	1,32,42,912.00	1,32,42,911.00	2,64,85,823.00
18		नगर परिषद, फुलवारीशरीफ	3,28,50,318.00	16,84,724.00	3,45,35,042.00	1,72,67,521.00	1,72,67,521.00	3,45,35,042.00
19		नगर परिषद, बख्तियारपुर	1,92,49,504.00	34,26,646.00	2,26,76,150.00	1,13,38,075.00	1,13,38,075.00	2,26,76,150.00
20		नगर परिषद, फतुहा	2,04,80,826.00	12,73,942.00	2,17,54,768.00	1,08,77,384.00	1,08,77,384.00	2,17,54,768.00
21	बक्सर	नगर परिषद, बक्सर	4,13,38,809.00	13,41,539.00	4,26,80,348.00	2,13,40,174.00	2,13,40,174.00	4,26,80,348.00
22		नगर परिषद, डुमरांव	2,15,48,612.00	39,85,620.00	2,55,34,232.00	1,27,67,116.00	1,27,67,116.00	2,55,34,232.00
23	रोहतास	नगर परिषद, सासाराम	5,92,41,678.00	28,33,872.00	6,20,75,550.00	3,10,37,775.00	3,10,37,775.00	6,20,75,550.00
24		नगर परिषद, डेहरीडालमिया नगर	5,51,51,696.00	55,42,950.00	6,06,94,646.00	3,03,47,323.00	3,03,47,323.00	6,06,94,646.00
25	कैमूर	नगर परिषद, भभुआ	2,01,66,426.00	18,51,116.00	2,20,17,542.00	1,10,08,771.00	1,10,08,771.00	2,20,17,542.00
26	नालंदा	नगर परिषद, हिलसा	2,05,17,306.00	32,94,051.00	2,38,11,357.00	1,19,05,679.00	1,19,05,678.00	2,38,11,357.00
27	जहानाबाद	नगर परिषद, जहानाबाद	4,14,75,760.00	52,59,563.00	4,67,35,323.00	2,33,67,662.00	2,33,67,661.00	4,67,35,323.00
28	अरवल	नगर परिषद, अरवल	2,08,37,579.00	7,79,964.00	2,16,17,543.00	1,08,08,772.00	1,08,08,771.00	2,16,17,543.00
29	औरंगाबाद	नगर परिषद, औरंगाबाद	4,10,90,875.00	55,45,550.00	4,66,36,425.00	2,33,18,213.00	2,33,18,212.00	4,66,36,425.00
30	नवादा	नगर परिषद, नवादा	3,93,96,763.00	14,76,733.00	4,08,73,496.00	2,04,36,748.00	2,04,36,748.00	4,08,73,496.00
31	सीतामढ़ी	नगर परिषद, सीतामढ़ी	2,72,55,420.00	20,20,109.00	2,92,75,529.00	1,46,37,765.00	1,46,37,764.00	2,92,75,529.00
32	वैशाली	नगर परिषद, हाजीपुर	5,93,54,207.00	51,06,170.00	6,44,60,377.00	3,22,30,189.00	3,22,30,188.00	6,44,60,377.00
33	पूर्वी चम्पारण	नगर परिषद, मोतिहारी	5,07,01,560.00	36,11,237.00	5,43,12,797.00	2,71,56,399.00	2,71,56,398.00	5,43,12,797.00
34		नगर परिषद, रक्सौल	2,23,19,309.00	15,13,132.00	2,38,32,441.00	1,19,16,221.00	1,19,16,220.00	2,38,32,441.00
35	प० चम्पारण	नगर परिषद, बेतिया	5,31,33,291.00	20,82,506.00	5,52,15,797.00	2,76,07,899.00	2,76,07,898.00	5,52,15,797.00
36		नगर परिषद, बगहा	4,52,66,490.00	1,21,75,252.00	5,74,41,742.00	2,87,20,871.00	2,87,20,871.00	5,74,41,742.00
37		नगर परिषद, नरकटियागंज	1,98,96,543.00	28,49,471.00	2,27,46,014.00	1,13,73,007.00	1,13,73,007.00	2,27,46,014.00
38	दरभंगा	नगर परिषद, बेनीपुर	3,02,69,270.00	1,16,99,474.00	4,19,68,744.00	2,09,84,372.00	2,09,84,372.00	4,19,68,744.00
39	मधुबनी	नगर परिषद, मधुबनी	3,04,37,445.00	6,55,170.00	3,10,92,615.00	1,55,46,308.00	1,55,46,307.00	3,10,92,615.00
40	समस्तीपुर	नगर परिषद, समस्तीपुर	2,72,98,391.00	8,96,959.00	2,81,95,350.00	1,40,97,675.00	1,40,97,675.00	2,81,95,350.00
41	भागलपुर	नगर परिषद, सुल्तानगंज	2,12,56,779.00	31,95,256.00	2,44,52,035.00	1,22,26,018.00	1,22,26,017.00	2,44,52,035.00
42	मुंगेर	नगर परिषद, जमालपुर	4,23,72,897.00	27,68,875.00	4,51,41,772.00	2,25,70,886.00	2,25,70,886.00	4,51,41,772.00
43	लखीसराय	नगर परिषद, लखीसराय	4,01,80,444.00	64,45,110.00	4,66,25,554.00	2,33,12,777.00	2,33,12,777.00	4,66,25,554.00
44	शेखपुरा	नगर परिषद, शेखपुरा	2,52,89,879.00	40,50,617.00	2,93,40,496.00	1,46,70,248.00	1,46,70,248.00	2,93,40,496.00
45	जमुई	नगर परिषद, जमुई	3,51,08,000.00	68,76,691.00	4,19,84,691.00	2,09,92,346.00	2,09,92,345.00	4,19,84,691.00
46	खगड़िया	नगर परिषद, खगड़िया	1,98,55,736.00	7,72,165.00	2,06,27,901.00	1,03,13,951.00	1,03,13,950.00	2,06,27,901.00
47	बेगूसराय	नगर परिषद, बीहट	2,73,09,211.00	22,35,899.00	2,95,45,110.00	1,47,72,555.00	1,47,72,555.00	2,95,45,110.00
48	सिवान	नगर परिषद, सिवान	5,42,81,454.00	33,92,847.00	5,76,74,301.00	2,88,37,151.00	2,88,37,150.00	5,76,74,301.00
49	गोपालगंज	नगर परिषद, गोपालगंज	2,70,62,823.00	28,88,470.00	2,99,51,293.00	1,49,75,647.00	1,49,75,646.00	2,99,51,293.00
50	सहरसा	नगर परिषद, सहरसा	6,29,11,533.00	54,93,553.00	6,84,05,086.00	3,42,02,543.00	3,42,02,543.00	6,84,05,086.00
51	मधेपुरा	नगर परिषद, मधेपुरा	2,18,91,762.00	67,18,098.00	2,86,09,860.00	1,43,04,930.00	1,43,04,930.00	2,86,09,860.00
52	सुपौल	नगर परिषद, सुपौल	2,62,98,618.00	58,15,938.00	3,21,14,556.00	1,60,57,278.00	1,60,57,278.00	3,21,14,556.00
53	अररिया	नगर परिषद, अररिया	3,17,57,801.00	80,51,838.00	3,98,09,639.00	1,99,04,820.00	1,99,04,819.00	3,98,09,639.00
54		नगर परिषद, फारबिसगंज	2,02,85,447.00	12,94,741.00	2,15,80,188.00	1,07,90,094.00	1,07,90,094.00	2,15,80,188.00
55	किशनगंज	नगर परिषद, किशनगंज	4,25,12,631.00	78,30,921.00	5,03,43,552.00	2,51,71,776.00	2,51,71,776.00	5,03,43,552.00
		कुल (ख)	**1,46,19,22,922.00**	**16,04,51,840.00**	**1,62,23,74,762.00**	**81,11,87,390.00**	**81,11,87,372.00**	**1,62,23,74,762.00**

नगर पंचायत

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	जिला	नगर पंचायत का नाम	90 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर वितरित राशि	10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर वितरित राशि	कुल आवंटित राशि (4+5)	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है		कुल निकासी की जाने वाली राशि (7+8)
						0005.31.04	0005.31.05	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
56	पटना	नगर पंचायत, मनेर	1,23,86,804.00	31,19,859.00	1,55,06,663.00	77,53,332.00	77,53,331.00	1,55,06,663.00
57		नगर पंचायत, खुशरूपुर	48,63,153.00	10,99,750.00	59,62,903.00	29,81,452.00	29,81,451.00	59,62,903.00
58		नगर पंचायत, विक्रम	69,51,425.00	13,77,938.00	83,29,363.00	41,64,682.00	41,64,681.00	83,29,363.00
59		नगर पंचायत, नौबतपुर	77,32,015.00	13,51,939.00	90,83,954.00	45,41,977.00	45,41,977.00	90,83,954.00
60	कैमूर	नगर पंचायत, मोहनिया	50,05,051.00	18,71,915.00	68,76,966.00	34,38,483.00	34,38,483.00	68,76,966.00
61	भोजपुर	नगर पंचायत, पीरो	1,04,44,449.00	16,82,124.00	1,21,26,573.00	60,63,287.00	60,63,286.00	1,21,26,573.00
62		नगर पंचायत, बिहियाँ	82,56,324.00	10,55,552.00	93,11,876.00	46,55,938.00	46,55,938.00	93,11,876.00
63		नगर पंचायत, जगदीशपुर	1,12,67,392.00	66,63,500.00	1,79,30,892.00	89,65,446.00	89,65,446.00	1,79,30,892.00
64		नगर पंचायत, कोईलवर	54,79,588.00	14,55,934.00	69,35,522.00	34,67,761.00	34,67,761.00	69,35,522.00
65		नगर पंचायत, शाहपुर	54,92,572.00	28,70,271.00	83,62,843.00	41,81,422.00	41,81,421.00	83,62,843.00
66	रोहतास	नगर पंचायत, विक्रमगंज	1,49,82,691.00	40,66,217.00	1,90,48,908.00	95,24,454.00	95,24,454.00	1,90,48,908.00
67		नगर पंचायत, कोआथ	58,39,741.00	15,26,131.00	73,65,872.00	36,82,936.00	36,82,936.00	73,65,872.00
68		नगर पंचायत, नोखा	84,40,265.00	34,96,842.00	1,19,37,107.00	59,68,554.00	59,68,553.00	1,19,37,107.00
69		नगर पंचायत, नासरीगंज	73,63,514.00	11,17,949.00	84,81,463.00	42,40,732.00	42,40,731.00	84,81,463.00
70		नगर पंचायत, कोचस	50,80,791.00	19,49,912.00	70,30,703.00	35,15,352.00	35,15,351.00	70,30,703.00
71	नालंदा	नगर पंचायत, ईसलामपुर	1,10,18,221.00	15,59,929.00	1,25,78,150.00	62,89,075.00	62,89,075.00	1,25,78,150.00
72		नगर पंचायत, सिलाव	79,36,977.00	23,39,894.00	1,02,76,871.00	51,38,436.00	51,38,435.00	1,02,76,871.00
73		नगर पंचायत, राजगीर	1,28,56,395.00	1,30,46,213.00	2,59,02,608.00	1,29,51,304.00	1,29,51,304.00	2,59,02,608.00
74	गया	नगर पंचायत, बोधगया	1,18,83,208.00	50,90,571.00	1,69,73,779.00	84,86,890.00	84,86,889.00	1,69,73,779.00
75		नगर पंचायत, शेरघाटी	1,25,71,672.00	28,05,273.00	1,53,76,945.00	76,88,473.00	76,88,472.00	1,53,76,945.00
76		नगर पंचायत, टेकारी	65,92,199.00	6,91,568.00	72,83,767.00	36,41,884.00	36,41,883.00	72,83,767.00
77	जहानाबाद	नगर पंचायत, मखदुमपुर	98,90,771.00	61,01,925.00	1,59,92,696.00	79,96,348.00	79,96,348.00	1,59,92,696.00
78	औरंगाबाद	नगर पंचायत, रफीगंज	1,09,85,761.00	11,85,546.00	1,21,71,307.00	60,85,654.00	60,85,653.00	1,21,71,307.00
79		नगर पंचायत, नवीनगर	74,14,523.00	45,28,996.00	1,19,43,519.00	59,71,760.00	59,71,759.00	1,19,43,519.00
80		नगर पंचायत, दाउदनगर	1,61,88,045.00	36,29,436.00	1,98,17,481.00	99,08,741.00	99,08,740.00	1,98,17,481.00
81	नवादा	नगर पंचायत, बारसलीगंज	1,05,28,227.00	80,88,236.00	1,86,16,463.00	93,08,232.00	93,08,231.00	1,86,16,463.00
82		नगर पंचायत, हिसुआ	1,00,73,475.00	16,45,726.00	1,17,19,201.00	58,59,601.00	58,59,600.00	1,17,19,201.00
83	भागलपुर	नगर पंचायत, नवगछिया	1,51,69,414.00	29,22,268.00	1,80,91,682.00	90,45,841.00	90,45,841.00	1,80,91,682.00
84		नगर पंचायत, कहलगांव	1,04,18,172.00	16,37,926.00	1,20,56,098.00	60,28,049.00	60,28,049.00	1,20,56,098.00
85	बांका	नगर पंचायत, बांका	1,42,13,539.00	49,05,979.00	1,91,19,518.00	95,59,759.00	95,59,759.00	1,91,19,518.00
86		नगर पंचायत, अमरपुर	78,32,487.00	29,06,669.00	1,07,39,156.00	53,69,578.00	53,69,578.00	1,07,39,156.00
87	सीतामढ़ी	नगर पंचायत, बैरगनिया	1,32,60,756.00	37,23,032.00	1,69,83,788.00	84,91,894.00	84,91,894.00	1,69,83,788.00
88		नगर पंचायत, बेलसंड	63,57,867.00	26,23,282.00	89,81,149.00	44,90,575.00	44,90,574.00	89,81,149.00
89		नगर पंचायत, डुमरा	48,45,532.00	5,92,773.00	54,38,305.00	27,19,153.00	27,19,152.00	54,38,305.00
90		नगर पंचायत, जनकपुर रोड	46,77,048.00	8,05,963.00	54,83,011.00	27,41,506.00	27,41,505.00	54,83,011.00
91	मुजफ्फरपुर	नगर पंचायत, मोतीपुर	88,32,878.00	33,20,050.00	1,21,52,928.00	60,76,464.00	60,76,464.00	1,21,52,928.00
92		नगर पंचायत, कांटी	77,44,380.00	42,01,411.00	1,19,45,791.00	59,72,896.00	59,72,895.00	1,19,45,791.00
93		नगर पंचायत, साहेबगंज	71,79,573.00	12,73,942.00	84,53,515.00	42,26,758.00	42,26,757.00	84,53,515.00
94	वैशाली	नगर पंचायत, लालगंज	1,14,68,645.00	20,43,508.00	1,35,12,153.00	67,56,077.00	67,56,076.00	1,35,12,153.00
95		नगर पंचायत, महनार	1,49,29,518.00	26,05,082.00	1,75,34,600.00	87,67,300.00	87,67,300.00	1,75,34,600.00
96		नगर पंचायत, महुआ	33,37,216.00	20,90,306.00	54,27,522.00	27,13,761.00	27,13,761.00	54,27,522.00
97	शिवहर	नगर पंचायत, शिवहर	86,91,908.00	24,25,691.00	1,11,17,599.00	55,58,800.00	55,58,799.00	1,11,17,599.00
98	पू० चम्पारण	नगर पंचायत, चकिया	63,94,965.00	16,19,727.00	80,14,692.00	40,07,346.00	40,07,346.00	80,14,692.00
99		नगर पंचायत, सुगौली	1,19,99,446.00	50,04,775.00	1,70,04,221.00	85,02,111.00	85,02,110.00	1,70,04,221.00
100		नगर पंचायत, ढाका	1,30,03,547.00	33,61,648.00	1,63,65,195.00	81,82,598.00	81,82,597.00	1,63,65,195.00
101		नगर पंचायत, अरेराज	80,42,087.00	35,61,839.00	1,16,03,926.00	58,01,963.00	58,01,963.00	1,16,03,926.00
102		नगर पंचायत, केसरिया	58,68,800.00	8,31,962.00	67,00,762.00	33,50,381.00	33,50,381.00	67,00,762.00
103		नगर पंचायत, पकड़ीदयाल	91,45,114.00	22,09,900.00	1,13,55,014.00	56,77,507.00	56,77,507.00	1,13,55,014.00
104		नगर पंचायत, मेहसी	80,36,213.00	18,61,516.00	98,97,729.00	49,48,865.00	49,48,864.00	98,97,729.00
105	प० चम्पारण	नगर पंचायत, चनपटिया	83,76,272.00	19,68,111.00	1,03,44,383.00	51,72,192.00	51,72,191.00	1,03,44,383.00
106		नगर पंचायत, रामनगर	1,49,65,997.00	42,11,810.00	1,91,77,807.00	95,88,904.00	95,88,903.00	1,91,77,807.00
107	मधुबनी	नगर पंचायत, जयनगर	67,33,787.00	4,02,981.00	71,36,768.00	35,68,384.00	35,68,384.00	71,36,768.00
108		नगर पंचायत, झंझारपुर	94,56,732.00	32,34,254.00	1,26,90,986.00	63,45,493.00	63,45,493.00	1,26,90,986.00
109		नगर पंचायत, घोघरडीहा	56,44,052.00	22,69,698.00	79,13,750.00	39,56,875.00	39,56,875.00	79,13,750.00
110	समस्तीपुर	नगर पंचायत, दलसिंह सराय	73,76,808.00	7,64,365.00	81,41,173.00	40,70,587.00	40,70,586.00	81,41,173.00
111		नगर पंचायत, रोसड़ा	96,31,399.00	2,67,787.00	98,99,186.00	49,49,593.00	49,49,593.00	98,99,186.00
112	मुंगेर	नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर	97,02,502.00	25,32,286.00	1,22,34,788.00	61,17,394.00	61,17,394.00	1,22,34,788.00
113	लखीसराय	नगर पंचायत, बड़हिया	1,33,03,108.00	69,00,089.00	2,02,03,197.00	1,01,01,599.00	1,01,01,598.00	2,02,03,197.00
114	जमुई	नगर पंचायत, झाझा	1,25,65,490.00	25,66,084.00	1,51,31,574.00	75,65,787.00	75,65,787.00	1,51,31,574.00
115	शेखपुरा	नगर पंचायत, बरबीघा	1,42,43,835.00	40,55,817.00	1,82,99,652.00	91,49,826.00	91,49,826.00	1,82,99,652.00
116	खगड़िया	नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर	1,16,71,134.00	24,67,289.00	1,41,38,423.00	70,69,212.00	70,69,211.00	1,41,38,423.00

क्र० सं०	जिला	नगर पंचायत का नाम	90 प्रतिशत जनसंख्या के आधार पर वितरित राशि	10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर वितरित राशि	कुल आवंटित राशि (4+5)	विषय शीर्ष जिससे राशि की निकासी की जानी है		कुल निकासी की जाने वाली राशि (7+8)
						0005.31.04	0005.31.05	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
117	बेगूसराय	नगर पंचायत, बखरी	1,23,79,075.00	11,69,947.00	1,35,49,022.00	67,74,511.00	67,74,511.00	1,35,49,022.00
118		नगर पंचायत, तेघड़ा	1,73,84,435.00	16,63,925.00	1,90,48,360.00	95,24,180.00	95,24,180.00	1,90,48,360.00
119		नगर पंचायत, बलिया	1,46,99,824.00	9,35,957.00	1,56,35,781.00	78,17,891.00	78,17,890.00	1,56,35,781.00
120	सारण	नगर पंचायत, सोनपुर	1,16,78,245.00	21,50,103.00	1,38,28,348.00	69,14,174.00	69,14,174.00	1,38,28,348.00
121		नगर पंचायत, दिघवारा	1,01,21,702.00	34,50,044.00	1,35,71,746.00	67,85,873.00	67,85,873.00	1,35,71,746.00
122		नगर पंचायत, मढ़ौरा	92,53,315.00	32,81,052.00	1,25,34,367.00	62,67,184.00	62,67,183.00	1,25,34,367.00
123		नगर पंचायत, रिविलगंज	1,20,68,694.00	32,44,654.00	1,53,13,348.00	76,56,674.00	76,56,674.00	1,53,13,348.00
124		नगर पंचायत, एकमा बाजार	94,13,452.00	18,71,915.00	1,12,85,367.00	56,42,684.00	56,42,683.00	1,12,85,367.00
125		नगर पंचायत, परसा बाजार	1,12,89,959.00	17,93,919.00	1,30,83,878.00	65,41,939.00	65,41,939.00	1,30,83,878.00
126	सिवान	नगर पंचायत, महाराजगंज	75,06,648.00	19,75,911.00	94,82,559.00	47,41,280.00	47,41,279.00	94,82,559.00
127		नगर पंचायत, मैरवा	72,84,992.00	19,75,911.00	92,60,903.00	46,30,452.00	46,30,451.00	92,60,903.00
128	गोपालगंज	नगर पंचायत, मीरगंज	81,11,953.00	14,24,735.00	95,36,688.00	47,68,344.00	47,68,344.00	95,36,688.00
129		नगर पंचायत, बरौली	1,29,46,047.00	57,74,340.00	1,87,20,387.00	93,60,194.00	93,60,193.00	1,87,20,387.00
130		नगर पंचायत, कटैया	62,42,556.00	31,35,459.00	93,78,015.00	46,89,008.00	46,89,007.00	93,78,015.00
131	सुपौल	नगर पंचायत, बीरपुर	61,61,870.00	22,54,098.00	84,15,968.00	42,07,984.00	42,07,984.00	84,15,968.00
132		नगर पंचायत, निर्मली	62,41,320.00	13,77,938.00	76,19,258.00	38,09,629.00	38,09,629.00	76,19,258.00
133	मधेपुरा	नगर पंचायत, मुरलीगंज	88,69,667.00	29,40,467.00	1,18,10,134.00	59,05,067.00	59,05,067.00	1,18,10,134.00
134	सहरसा	नगर पंचायत, सिमरी बख्तियारपुर	66,94,526.00	11,69,947.00	78,64,473.00	39,32,237.00	39,32,236.00	78,64,473.00
135	पूर्णिया	नगर पंचायत, कसवा	94,04,487.00	40,92,216.00	1,34,96,703.00	67,48,352.00	67,48,351.00	1,34,96,703.00
136		नगर पंचायत, बनमंखी	93,78,209.00	52,38,764.00	1,46,16,973.00	73,08,487.00	73,08,486.00	1,46,16,973.00
137	अररिया	नगर पंचायत, जोगवनी	1,21,43,507.00	39,31,023.00	1,60,74,530.00	80,37,265.00	80,37,265.00	1,60,74,530.00
138	किशनगंज	नगर पंचायत, बहादुरगंज	1,14,36,185.00	75,83,859.00	1,90,20,044.00	95,10,022.00	95,10,022.00	1,90,20,044.00
139		नगर पंचायत, ठाकुरगंज	56,72,185.00	27,19,477.00	83,91,662.00	41,95,831.00	41,95,831.00	83,91,662.00
140	कटिहार	नगर पंचायत, मनिहारी	82,32,211.00	29,40,394.00	1,11,72,605.00	55,86,303.00	55,86,302.00	1,11,72,605.00
141		नगर पंचायत, बारसोई	83,41,339.00	20,79,910.00	1,04,21,249.00	52,10,625.00	52,10,624.00	1,04,21,249.00
		कुल (ग)	**81,56,01,873.00**	**24,37,64,931.00**	**1,05,93,66,804.00**	**52,96,83,424.00**	**52,96,83,380.00**	**1,05,93,66,804.00**
		कुल योग (क+ख+ग)	**4,57,68,57,823.00**	**50,85,39,677.00**	**5,08,53,97,500.00**	**2,54,26,98,783.00**	**2,54,26,98,717.00**	**5,08,53,97,500.00**

09.07.18

(जय प्रकाश मंडल),
सरकार के विशेष सचिव।